



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के रामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब- राईट- jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265655-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3) / नि.आ. / जो.रत.स. / का.ति. / 2023 / 1554.

दिनांक:-

03/10/2023

-कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं रखायत शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा वैठक दिनांक 22.09.2023 को उपायुक्त (जोन-1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में रापन हुई वैठक में प्रस्तुत प्रकरण पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 59, 59/1 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

- आवेदित भूमि में विद्युत लाइन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
- आवेदित भूमि में गुजर रही जोनल ड्वलपमेंट प्लान की 18 मीटर रोड को मानचित्र में दर्शाया जावें।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन भौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- ले-आउट प्लान की समरत सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवासिति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंगित है। इस बावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 1, 6/2 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

- निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-
- आवेदित भूमि में विद्युत लाइन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोड़ा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
 - प्रश्नगत भूमि के दक्षिण व पूर्व दिशा में स्थित मार्टर/जोनल ड्वलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क को मानचित्र में दर्शाया जावें।
 - प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
 - उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन भौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
 - ले-आउट प्लान की समरत सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।
 - प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवासिति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंगित है। इस बावत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावें।

६

१

३२१
३२१/१२३

२०२३
२०२३/१०/१०

सौरभ गहलात
स्थायक नगर नियोजक

तहसीलदार (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशासी अभियन्ता

मुद्रित
आर.ए.एस.
उपायुक्त

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 104 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—

- आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में गुजर रहे कटाण मार्ग का मार्गाधिकार पूर्व अनुमोदन अनुसार 60 फीट रखा जावें।
- आवेदित भूमि में धियुत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफटी कोरिडोर छोड़ा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
- प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि समिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
- उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर गिर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, बाद, अवासि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंभित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 47 के ले-आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व अनुमोदित मानवित्र में मौका रिपोर्ट, पजिंयन दस्तावेज अनुसार भूखण्ड संख्या 21बी व 21डी का अंकन किया जावें।


 तहसील नान्दडी-1
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर
 अधिशासी अभियन्ता


 सूलभगढ़ा नियोजक
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 सहायक नगर नियोजक
 अ.ए.ए.प. अर.ए.ए.प.
 उपायुक्त

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 1555-60 दिनांक: 03/10/2023
 प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
- निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
- निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
- उपायुक्त जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधिशासी अभियन्ता जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
- तहसीलदार जोन-1, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
 एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर